अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

अभिलेख सं0 74 (x) /2016–17

वाद का प्रकार :– बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधि0 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच एवं कार्रवाई से संबंधित।

पदाधिकारी आदेश

झारखण्ड सरकार के ज्ञापांक 2074/रा0 दिनांक 13.05.2016 सहपठित श्री अनुज मुखर्जी निदेशक, भू–अर्जन– सह – विशेष सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का पत्र संख्या– 3 – खा0ग0निति – 119/85/2308/रा0 दिनांक 03.09.1985 एवं सह–पठित राजस्व विभागीय परिपत्र संख्या – 914/रा0 दिनांक 09.12.1998 मे निहित निदेश के अनुपालन मे गैरमजरूआ खास भूमि की कायम की गयी जमाबंदियो की जॉच प्रारम्भ की गयी। जॉच के क्रम मे हल्का राजस्व कर्मचारी एवं प्र0अं0नि0 द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि निम्नांकित विवरणी की भूमि :–

मौजा आसना [illegible] थाना नं0 159 खाता नं0 101 प्लॉट नं0 388 रकबा 05 डि0 एकड की भूमि जो गैरमजरूआ खास, अनाबाद बिहार(झारखण्ड) सरकार के खाते की सरकारी भूमि है, जिसकी जमाबंदी उस मौजा के पंजी II के जिल्द सं0 1 के पृष्ट संख्या 287 पर जमाबंदी रैयत भारत सरकार के नाम से कायम है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा जॉचोपरान्त उपर्युक्त विवरणी की भूमि के विरूद्ध कायम जमाबंदी को संदिग्ध प्रतिवेदित किया गया है।

हल्का कर्मचारी एवं प्र0अंचल निरीक्षक द्वारा समर्पित जॉच प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उपर्युक्त जमाबंदी बिना सक्षम प्राधिकार के आदेश के/अवैध बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध कोडकर बंदोबस्ती के आधार पर/अवैध लगान निर्धारण के आधार पर/सादा हुकुमनामा के आधार पर कायम की गयी है, जिसका उद्देश्य निजी लाभ एवं राज्य को क्षति कारित करना है।

प्रथम दृष्टया उपर्युक्त से स्पष्ट होता है कि उपर्युक्त विवरणी की जमीन की सृजित जमाबंदी अवैध प्रतीत होती है, जिसका बिहार(झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत जॉच किया जाना वांछनीय प्रतीत होता है।

अतएव, संबंधित जमाबंदी रैयत को नोटिस निर्गत कर उपर्युक्त भू–खण्ड से संबंधित मूल दस्तावेजों/निर्गत लगान रसीद की मांग करें तथा उनको कारण पृच्छा करें, कि क्यों नही उक्त जमाबंदी को अवैध मानते हुए इसे बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4(h) के तहत सक्षम प्राधिकार को रद्द करने हेतु अनुशंसित किया जाए।

अभिलेख दिनांक 26. 9. 2016 को उपस्थापित करें।

अंचल अधिकारी,
तोपचाँची
4.4.16

Scanned with CamScanner

तिथि	
13/8/20	अभिलेख उपस्थापित ! तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। प्रतिवादी द्वारा संदिग्ध जमीन के संबंध में कोई भी राजस्व कागजात समर्पित नहीं किया गया है। इस संबंध में.........भुखल दास....द्वारा मात्र उपस्थिति दर्ज करायी गई/अनुपस्थिति जो अभिलेख में संलग्न है। लगान वर्ष......................तक भुगतान किया गया है।

मौजा-..आसनसिंघा......थाना नं०..159...खाता नं०....101...

प्लाट नं०..388.. रकबा...05 डी.....कुल.....05 डी....

भूमि क्रमश: प्रतिवादी के नाम से दर्ज है। पंजी- II में प्रतिवादी के नाम पर सृजित जमाबंदी में जांचोपरांत निम्नलिखित त्रुटियाँ पाई गई है:-

1. जमाबंदी सृजित करने मे संबंधित सक्षम प्राधिकार के आदेश का उल्लेख नहीं पाया गया।
2. लगान निर्धारण/जमींदार से प्राप्त संबंधी पट्टा/ सादा हुकुनामा आदि कागजात नहीं पाया गया।
3. बंदोबस्ती पट्टा भी नहीं पाया गया और न ही प्रतिवादी द्वारा उपलब्ध कराया गया है।
4. प्रतिवादी ने प्रतिवेदित भूमि से संबंधित कोई भी कागजात नहीं होने से इंकार किया है।

उपरोक्त तथ्यों से स्पष्ट है कि वर्णित जमाबंदी बिना किसी सक्षम प्राधिकार के आदेश के बिना ही सृजित कर दी गई है, जो अवैध है।

अत: मौजा-..आसनसिंघा.......थाना नं०..159...खाता नं०..101.....

प्लाट नं०..388.. रकबा..05 डी.....कुल.................धूर, कुल......05 डी.......धूर,भूमि जो प्रतिवादी......भुखल दास... के नाम पर पंजी- II में दर्ज है, को बिहार (झारखण्ड) भूमि सुधार अधिनियम 1950 की धारा 4 (H) के तहत कायम जमाबंदी को रद्द करने की अनुशंसा की जाती है ।

तदानुसार अभिलेख अग्रेतर कार्रवाई हेतु भूमि सुधार उपसमाहर्ता, धनबाद को भेजे।

लेखापित एवं संशोधित

13/8/20

अंचल अधिकारी
तोपचॉची।

अंचल अधिकारी,
तोपचॉची।

Scanned with CamScanner

74

59

संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी संबंधी जाँच प्रतिवेदन

1. संदिग्ध/संदेहास्पद जमाबंदी रैयत का नाम :– रुस्तम आलम पिता –
2. जमाबंदी से संबंधित भूमि का विवरण :–

मौजा	थाना सं०	खाता सं०	प्लॉट सं०	रकबा
आलमाबीघा –	157 –	101 –	388 –	0588

3. जमाबंदी पंजी–II के जिल्द संख्या......1........ पृष्ठ सं०–287 पर कायम है –
4. जमाबंदी किस वर्ष कायम है – 95–96
5. खतियान के अनुसार उपरोक्त भूमि के खातेदार का नाम :– मो० रुस्तम आलम
6. किस सक्षम प्राधिकार/पदाधिकारी के आदेश से जमाबंदी कायम की गई है :– कार्यालय बंदोबस्त केस नं० 71(x) 95–96
7. यदि संदेहास्पद जमाबंदी नामान्तरण द्वारा स्थापित है तो मूल जमाबंदी रैयत का नाम :– –
8. मूल जमाबंदी कायम किए जाने का आधार (अनिबंधित सादा हुकुमनामा/लगान निर्धारण/अवैध भूबंदोबस्ती – बंदोबस्ती
9. संदेहास्पद जमाबंदी की जॉच किस राजस्व अभिलेख से की गई (भूतपूर्व जमींदार द्वारा दाखिल रिटर्न/बन्दोबस्ती पंजी/लगान निर्धारण पंजी/भू–हस्तांतरण पंजी) – पंजी II

10. संदेहास्पद जमाबंदी में अंकित लगान रसीद संख्या एवं वर्ष –

क्र० संख्या	लगान रसीद संख्या	रसीद निर्गत तिथि	वसूली वर्ष
1	5636763 –	7.1.96	– 95–96

[signatures]

Scanned with CamScanner

सेवा में,

श्रीमान अंचल अधिकारी
तोपचाँची

विषय ÷ वादअभिलेख्य सं० 74(x) 16-17 के सम्बन्ध में

महाशय

उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में कहना है। कि मौजा आसनासोघा थाना नं० 159 खाता नं० 101 प्लोट नं० 388 रकवा 05 डी० भूमि का मेरे पास कोई कागजात नही है इस प्लोट पर पहले से इन्दिरा वास बना हुआ है।

26/9/16

Put up in records
13/8/20

अतः अनुरोध है कि स्वीकार की जाय

दिनांक 26/9/16

विश्वास भाजन

L.T.I.

भूखल दास

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख सं0 74 (X) /2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम,

भूखन दास

पिता – ....

ग्राम – आसनासींघा पो0 ....

थाना – .... जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसनासींघा। थाना न0 159 खाता न0 101 प्लॉट न0 388 रकबा 05 डी0 एकड़ से सबंधित आपके नाम से हल्का न0 (X) के पंजी II भाग 01 के पृष्ठ 25 न पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से जॉचोपरान्त संदिग्ध प्रतिवेदित किया है।

अतएव, आप उक्त सबंध मे दिनांक 26·9·16 को समय 11.00 बजे पूर्वा0 मे उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से सबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमीदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म M एव सरकार मे जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एव अन्य ठोस साक्ष्यो की मूल प्रति/सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ मे उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति मे समझा जायेगा कि उक्त सबंध मे आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज/साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के सबंध मे युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि :–

स्थान – तोपचाँची

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

9·9·16

Scanned with CamScanner

कार्यालय, प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

तोपचांची - धनबाद

इन्दिरा आवास योजना / राष्ट्रीय ग्रामीण नियोजन कार्यक्रम / ग्रामीण-भूमिहीन नियोजन गारंटी योजना के अन्तर्गत ग्राम सिंघाडाब में निर्मित हरिजन/आदिवासी आवासीय गृह का गृह संख्या [illegible]

श्री/श्रीमती सुरलाल राय

पिता/पति जगराम [illegible] ब्राह्मणडीह

ग्राम सिंघाडाब डाकखाना [illegible]

थाना तोपचांची जिला धनबाद को आवंटित किया जाता है।

तोपचांची

[signature] 23/7/88

प्रखण्ड विकास पदाधिकारी

तोपचांची, धनबाद

Scanned with CamScanner

74

अंचल अधिकारी का कार्यालय, तोपचाँची(धनबाद)

वाद अभिलेख स0 74 (X) /2016–17 (अन्तर्गत धारा – 4(h), BLR Act, 1950)

सूचना

बनाम

गुरुपद दास

पिता –

ग्राम – आसनासोंघा पो0

थाना – जिला – धनबाद।

एतद द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि मौजा आसनासोंघा थाना न0 159 खाता न0 101 प्लॉट न0 386 रकबा 05 डी0 एकड़ से संबंधित आपके नाम से हल्का न0 (X) के पंजी II भाग 01 के पृष्ठ 257 पर दर्ज जमाबंदी प्रथम दृष्टया राजस्व कर्मचारी ने प्र0अंचल निरीक्षक के माध्यम से औचित्यता रहित प्रतिवेदित किया है।

अतएव आप उक्त संबंध में दिनांक 26.9.16 को समय 11.00 बजे पूर्वा0 में उक्त भूमि का रिटर्न –I, भूमिबंदोबस्ती से संबंधित हुकुमनामा, भूतपूर्व जमींदार द्वारा निर्गत जमींदारी रसीदो, फार्म M एवं सरकार में जमींदारी निहित होने के बाद सरकार द्वारा निर्गत राजस्व रसीदो निर्गत परवाना एवं अन्य ठोस साक्ष्यों की मूल प्रति / सत्यापित प्रति जो आपके उक्त भूमि पर दावे की पुष्टि करता हो, के साथ अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय प्रकोष्ठ में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

सनद रहे कि अन्यथा कि स्थिति में समझा जायेगा कि उक्त संबंध में आपको कुछ नही कहना है तथा उपलब्ध दस्तावेज / साक्ष्यो के आधार पर समुचित निर्णय पर पहुँचते हुए दर्ज जमाबंदी के संबंध में युक्ति–युक्त निर्णय लेते हुए विधिसम्मत अनुशंसा कर दी जायेगी।

इसे सख्त ताकीद जाने।

तिथि –

स्थान – [redacted]

L.T.I.

(गुरुपद दास)

अंचल अधिकारी

तोपचाँची

9.9.16